भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 707
दिनांक 05 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय पोषण मिशन

707. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री चंद्र शेखर साहू :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या भारत में बच्चों की दो तिहाई मृत्यु के लिए कुपोषण जिम्मेदार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में प्रचलित कुपोषण की समस्या के प्रभावी ढंग से समाधान के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन पर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने राज्यों को पोषण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा है जिसका उद्देश्य बच्चों में बौनेपन, कुपोषण, रक्ताल्पता को कम करना और जन्म के समय कम भार वाले बच्चों के स्तरों में कमी लाना है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे हैं; और
(च) देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (च) : 5 साल से कम आयु के बच्चों की समग्र मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म में मौतों की संख्या) 2005-06 में जारी की गई तीसरी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में यथा सूचित 74.0 से घटकर 2015-16 में जारी की गई चौथी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार 50.0 हो गई है।

सरकार देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए लक्षित हस्तक्षेप के रूप में अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के तहत आंगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए स्कीम चला रही है।

कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य, आरोग्यता तथा बीमारी एवं कुपोषण के प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाली प्रथाओं के विकास पर फोकस के साथ पोषण, प्रदायगी, आऊटरीच तथा परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की है। प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में जांच तथा पोषण की गुणवत्ता में सुधार, प्रदायगी तंत्र के सुदृढ़ीकरण और शासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि पूरक पोषण की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा इसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुपोषण तथा संबद्ध बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुष पद्धतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। पोषण प्रथाओं में परम्परागत ज्ञान का उपयोग करके आहार विविधता अंतराल को पाटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास के लिए समर्थन प्रदान करने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि गर्म पका भोजन समुचित किचन शेड में तैयार किया जाए जहां स्वच्छता तथा पीने के लिए सुरक्षित पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो और वे कुपोषण तथा संबद्ध बीमारियों की रोकथाम की आयुष पद्धतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करें। पोषण प्रथाओं में

परम्परागत ज्ञान का उपयोग करके आहार विविधता अंतराल को पाटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास के लिए समर्थन प्रदान करने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

*****